अंचल अधिकारी का कार्यालय, जरीडीह (बोकारो)।

विविध वाद सं0:–......06........../2024–25

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
08.07.2024	आवेदक श्री घनश्याम सिंह पिता स्व0 हरिनारायण सिंह सा0 नुतनडीह, पो0 तांतरी, थाना जरीडीह, जिला बोकारो द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा तांतरी, थाना नं0 06, खाता नं0 148, प्लॉट सं0 17, रकवा 22 डी0 भूमि जो आवेदक के पूर्वजो का है, जिसे उनके पूर्वजो के द्वारा बिक्री नहीं की गई है। उक्त भूमि पर श्री अयोध्या मिश्रा पिता बाढ़ो मिश्रा के नाम से जमाबंदी दर्ज है, जिसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है। अतः इस संबंध में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। एवं दोनो पक्षो को नोटिस निर्गत कर कागजात की मांग करें। अभिलेख दिनांक...15/07/24...को उपस्थापित करें। 08/07/24 अंचल अधिकारी जरीडीह।	
15.07.2024	अभिलेख उपस्थापित। दोनो पक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया एवं उक्त भूमि पर अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज समर्पित किया गया। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से दस्तावेज जांच कर प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक...20/01/25...को उपस्थापित करें। 15/07/25 अंचल अधिकारी जरीडीह।	
20.01.25	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक –सह– प्र0 अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि मौजा तांतरी, थाना नं0 06, खाता नं0 148, प्लॉट सं0 17, रकवा 22 डी0 भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की भूमि है, जिसका खतियान भजुआ घटवार वगै0 के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज के रूप में उक्त भूमि पर दावा करते है। तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि पर अपने दावे के समर्थन में लगान रसीद सं0 393817, 077718/02.04.1979, 271918/20.03.1980, 273946/25.03.1985, 3015726/15.03.2003 एवं 0364636948/15.07.2024 प्रस्तुत किया गया।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
~~03/01/25~~	जिसका अवलोकन के क्रम में पाया गया कि उक्त भूमि की जमाबंदी ऑफलाईन एवं ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ सं0– 152/III में द्वितीय पक्ष श्री अयोध्या मिश्रा पिता बाढो मिश्रा के नाम से खाता नं0 148, प्लॉट सं0 17, रकवा 22 डी0 कायम है, परन्तु प्राधिकार के कॉलम में कुछ दर्ज नही है। इस संबंध में द्वितीय पक्ष से अन्य दस्तावेज यथा केवाला की मांग की गई, इस संबंध में उनके द्वारा केवाला उपलब्ध कराने हेतु एक पक्ष समय की मांग की गई, परन्तु उनके द्वारा समयावधि के भीतर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। चुंकि द्वितीय पक्ष की जमाबंदी लंबे अवधि से चलती आ रही है, ऐसे बिनी किसी वैद्य कारण के रद्द करने की अनुशंसा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। प्रथम दृष्टया मामला स्वत्व का बनता है। आवेदक सक्षम न्यायालय की शरण ले सकते है। अतः उक्त प्रतिवेदन के आलोक में आवेदित मामला प्रथम दृष्टया स्वत्व का बनता है। आवेदक सक्षम न्यायालय की शरण ले सकते है। लेखापित एवं संशोधित। 20/01/25 अंचल अधिकारी जरीडीह। 20/01/25 अंचल अधिकारी जरीडीह।	

Digitally signed by PRANAV RITURAJ
Date: 2025.02.13 15:30:48 +05:30
Location: 10.93.250.200